

२७/११

पत्रावली पत्रा काटा जा या निर्णय हो जान  
के बाद इन पत्रावली का कोई उचित नहीं हो  
कतः पत्रावली के जारी रहना काँटन के खरीज  
विषय जाता हो पत्रावली के मूल काट हो कर  
नम्बर के काम हो। जिला लेख्य मन्शर मे २१/११/१९

२५६-

उपखण्डाधिकारी

मन्शर (अलवर) राज०

